

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

संख्या-409/जि0आ0अ0/अस्थायी व्यवस्थापन/2020-21/गाजीपुर/दिनांक:जुलाई: 04, 2020


विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजीपुर की निलम्बित देशी शराब दुकान महेवा का अन्तरिम व्यवस्थापन उसके स्थायी व्यवस्थापन होने या दिनांक 06.07.2020 से 14 दिवस तक, जो भी पहले हो दैनिक आधार पर संचालन हेतु सर्वोच्च आफर द्वारा कराया जायेगा। दो या दो से अधिक सर्वोच्च आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्थापन कराया जायेगा। आफर बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर में करना होगा।

1- आफर जमा करने की तिथि व समय-06.07.2020, 12.00 बजे।

2- आफर खोलने की तिथि व समय तथा स्थान-06.07.2020, 01.00 बजे, कलेक्ट्रेट गाजीपुर।

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बे0ला0फीस/ला0फीस का ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर के पक्ष में देय हो तथा फोटो पहचान पत्र, पैनकार्ड व फोटो लगाना अनिवार्य होगा। दुकान से सम्बन्धित विस्तृत विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के साथ-साथ जनपद की वेबसाइट www.ghazipur.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। यदि दुकान पर आफर दिनांक 06.07.2020 को निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होता है तो अग्रिम दिवसों में भी आफर स्वीकार किया जायेगा।


जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

संख्या-409-18/जि0आ0अ0/तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1- जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर।

2- जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु।

3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

4- आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1,2,3,4, एवं 5, गाजीपुर।

5- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र समय समाचार / दि-दलान को इस आशय के साथ प्रेषित कि कम से कम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी से सत्यापित कराकर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

संख्या- /जि0आ0अ0/अस्थायी व्यवस्थापन/2020-21/गाजीपुर/दिनांक:जुलाई, 2020

विज्ञप्ति (जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजीपुर की निलम्बित देशी शराब दुकान महेवा को एक बार में अधिकतम 14 दिवसों (06.07.2020 से 19.07.2020 तक) के लिए दैनिक आधार पर व्यवस्थित कर संचालित किया जाना है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	शॉप आई० डी०	वार्षिक बे०ला०फी० (रु० में)	निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (रु० में)	एक दिन की न्यूनतम बे०ला०फी० फीस (रु० में)	एक दिन की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु० में)	चौदह दिन की न्यूनतम निर्धारित बे०ला० फी० फीस (रु० में)	चौदह दिवस के न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस (रु०में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देशी शराब	महेवा	9716	984456.00	7417320.00	2697.14	20321.42	37759.96	284499.95

1- आफर जमा करने की तिथि व समय- 06.07.2020, 12:00 बजे।

2- आफर खोलने की तिथि व समय तथा स्थान- 06.07.2020, 13:00 बजे- कलेक्ट्रेट गाजीपुर।

आवेदन सील बन्द लिफाफे में स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बे०ला०फीस/ला०फीस का ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर के पक्ष में देय हो तथाफोटो पहचान पत्र, पैनकार्ड व फोटो लगाना अनिवार्य होगा। दुकान की दैनिक ला०फीस/बे०ला०फीस दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक ला०फीस/बे०ला० फीस का 1/365 वां भाग होगा। न्यूनतम निर्धारित ला०फीस के सापेक्ष प्राप्त सर्वोच्च आफर ही स्वीकार होगा। समान आफर होने की दशा में व्यवस्थापन मैनुअल लाटरी द्वारा होगा। यदि दुकान पर ऑफर दिनांक 06.07.2020 को 12:00 बजे तक प्राप्त नहीं होता है तो अग्रिम दिवसों में भी ऑफर स्वीकार किया जायेगा। दुकान से सम्बन्धित विस्तृत विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के साथ-साथ जनपद की वेबसाइट www.ghazipur.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

संख्या /जि0आ0अ0/तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर।
- 2- जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
- 4- आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4,गाजीपुर।
- 5- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र.....को इस आशय के साथ प्रेषित कि कम से कम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी से सत्यापित कराकर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।